भारत सरकार

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

संस्कृति मंत्रालय

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 392वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान: राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण सम्मेलन कक्ष

दिनांक और समय: 23 मई, 2023, अपराह्न 02:00 बजे

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. श्री हेमराज आर. कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
3. डॉ. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

कार्यसूची संख्या 01

391वीं एनओसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची संख्या 02

एनओसी आवेदनों पर विचार

ऑनलाइन मामले

मामला संख्या 01

(श्री रामराजन.सी, वार्ड नं.3, ब्लॉक नं.47, टीएस नं 2370/76, *प्लाट नं. 48, वेस्ट पार्ट, अन्ना सलाई, मुलैई नगर, सलभोगम, कांचीपुरम कारपोरेशन लिमिटेड)*

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 2370/76, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **07.85 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ भूतल = प्रथम तल = 72.42 वर्गमीटर तलक्षेत्र, खुला स्थान क्षेत्र = 38.58 वर्गमीटर, चारदीवारी = 48.70 आरएमटी के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में

उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री एस. श्रीधर, 15, नुक्कलम्मान कोइल स्ट्रीट, उथिरामेरू-603406 (कोर्ट के सामने) कांचीपुरम) आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना भूतल तक पहले ही निर्माण कार्य कर लिया है और आवेदक ने एएमएएसआर अधिनियम के उपबंधों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है।

मामला संख्या 03

(श्री आर. नागराजन, 687, कोंडिराजापलायम, तंजावूर-613001)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया गया, एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ए (4) के अनुसार किसी केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मामला संख्या 04

(श्री के. गणपति, डोर नं. आर2/629एफ, कैलाशपुरम टाउनशिप, भेल, ट्रिची-620014)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **07.50 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेज** दिया जाए।

मामला संख्या 05

(श्रीमती एस. शान्ति, श्री एस. दिनेश कुमार, श्री षणमुगराजेश्वरन, श्री पी. राजकुमार, श्रीमती पी. धनलक्षमी, डोर नं. 2736, थोपिल पिलायार कोविल स्ट्रीट, तंजावूर-613009)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में वार्ड नं. 4, ब्लॉक नं. 35, टी. थोपिल पिलायार कोविल स्ट्रीट, तंजावूर, तमिलनाडु-613009 में **7.92 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित भूतल = प्रथम तल = 15.72 वर्गमीटर तलक्षेत्र, खुला स्थान क्षेत्र = 11.65 वर्गमीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई

है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 06</u>

(श्री एस. सेनरायापेरूमल तथा श्री एस. वेनगादाचलम, 14, गुंडी वेंकटस्वामी नायडु स्ट्रीट, यूथिरामेरूर-603406 कांचीपुरम)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 878/208, यूथिरामेरूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **14.75 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 2 मंजिल, ओवरहैड टैंक तथा लिफ्ट मशीन रूम के साथ भूतल = 59.45 वर्गमीटर = प्रथम तल = दूसरा तल = 117.80 वर्गमीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 07</u>

(श्री माणिकसुंदरम जी. जी. माणिकसुंदरम, एफ 1, प्रथम तल, वेंकटबालाजी अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 8, पोन्निआमान कोइल स्ट्रीट, अलापक्कम, चैन्नई-600116)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को ब्लॉक 1 की अधिकतम ऊंचाई **07.00 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेज** दिया जाए।

<u>मामला संख्या 08</u>

(श्री गनानाशेकर, टी. एस. नं. 365/1ए1, 1ए2, 2, 1सी, डी. नं. 101ए, 102सी/1, संगीतावीतन नैयना स्ट्रीट (पुथेरी स्ट्रीट), कांचीपुरम सिटी मैन्यूसिपल कारपोरेशन लिमिट.)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टी. एस. नं. 365/1ए1, 1ए2, 2, 1सी, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **07.40 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित भूतल क्षेत्र = प्रथम तल क्षेत्र = 69.06 वर्गमीटर, खुला स्थान क्षेत्र = 35.30 वर्गमीटर, चारदीवारी = 44.90 आरएमटी के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 09

(श्री जी. मनोज कुमार, वार्ड नं. 4, ब्लॉक नं. 23, टीएस नं. 1804/1, *डोर नं. 99/44, वैस्ट राजा स्ट्रीट, कांचीपुरम कारपोरेशन लिमिटेड)*

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टीएस नं. 1804/1, *डोर नं. 99/44*, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **07.85 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ वाणिज्यिक भूतल = प्रथम तल = 86.40 वर्गमीटर, आवासीय भूतल = प्रथम तल = 68.12 वर्गमीटर तलक्षेत्र, खुला स्थान क्षेत्र = 119.98 वर्गमीटर, चारदीवारी = 94.77 आरएमटी के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 10

(श्री एस. गोपाल तथा श्रीमती जी लक्ष्मी, पुराना नं. 96, नया नं. 126, असिरियार एवेन्यू, अशोक नगर, आरापन्नाचेरी, *कांचीपुरम)*

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में टीएस नं. 274/1बी, 6ए, 7ए, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **09.00 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ प्रस्तावित भूतल (वाणिज्यिक) = 97.70 वर्गमीटर, प्रस्तावित प्रथम तल (आवासीय) = 97.70 वर्गमीटर तलक्षेत्र, खुला स्थान क्षेत्र = 50.71 वर्गमीटर, चारदीवारी = 55.90 आरएमटी के साथ वाणिज्यकि एवं आवासीय भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 11

(श्री एस. विजय सारथी, प्लाट नं. 1बी, श्री विजय लक्ष्मी गार्डन टेम्पल सिटी, पट्टा एस. नं. 912/2, कुंडराथूर गांव, जिला - *कांचीपुरम)*

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लाट नं. 1बी, कुंडराथूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **10.52 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल और हैडरूम और जल टैंक के साथ भूतल = प्रथम तल = 49.90 वर्गमीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ

प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 12

(श्री एस. गणेशन, नं. 17/10, पटेल स्ट्रीट, वैस्ट मम्बलम, चैन्नई -33)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 16.40 मीटर (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को वापस भेज दिया जाए।

मामला संख्या 13

(श्री आर. राजामाणिक्म, प्लाट नं. 57/59, कल्याण सुन्द्रम नगर, एयरपोर्ट, तिरूचिरापल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को **खारिज** करने का निर्णय लिया गया, एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ए (4) के अनुसार किसी केंद्रीय संरक्षित स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र में निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मामला संख्या 14

(श्री एम. तुलसी रमन, नं. 8, गांधी स्ट्रीट, न्यू पेरूनगालाथूर, चैन्नई-600063*)*

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 476/9, पेरूनगालाथूर, चेंगालपट्टु, तमिलनाडु में **11.47 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 2 मंजिल तथा हैडरूम और जल टैंक के साथ भूतल = 84.44 वर्गमीटर, प्रथम तल = 89.37 वर्गमीटर, दूसरा तल (पार्ट) = 30.10 वर्गमीटर, हैडरूम क्षेत्र = 10.21 वर्गमीटर तलक्षेत्र, खुला स्थान क्षेत्र = 49.54 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 15

(श्री एस. बाबूजी, नं. 61, कृष्णा रोड, न्यू पेरूनगालाथूर, चैन्नई-63*)*

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 171/1बी1ए2, पेरूनगालाथूर, चेंगालपट्टु, तमिलनाडु में **09.83 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ भूतल (वाणिज्यिक) = 32.42, वर्गमीटर, भूतल (आवासीय) = 76.37 वर्गमीटर, प्रथम तल (आवासीय) = 108.78 वर्गमीटर, हैड रूम = 44.77 वर्गमीटर, खुला स्थान क्षेत्र = 72.64 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु

की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 16

(श्री वी. पी. शेन्तिलकुमार तथा श्रीमती पी. अनन्या गायत्री, 20, जी2, ए वी मालीस गार्डन, रामामूर्ति नगर, मुगालिवक्कम, श्री पेरूमबुदूर तालुक, चैन्नई-600125)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी नं. 7, एस नं. 308, कूंडराथूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में **13.66 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट/भूतल + 2 मंजिल के साथ हैडरूम एवं ओवरहैड टैंक के साथ स्टिल्ट/जीएफ = एफएफ = एसएफ = 50.28 वर्गमीटर, टैरेस तल (हैडरूम) = 7.02 वर्गमीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 17

(श्रीमती एस हरिणी तथा श्रीमती एस लोकेश्वरी, नं. 108, चौथी स्ट्रीट, टी. एस. कृष्णा नगर, मोगापेयर ईस्ट चैन्नई-37)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में डोर नं. 37/13, पुराना सर्वे, पीरकानकरनई, चेंगालपट्टु, तमिलनाडु में **9.68 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ हैडरूम एवं ओवरहैड टैंक के साथ जीएफ = एफएफ = 63.90 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.53 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 18

(श्री के. कुमार, नं. 3, जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट, न्यू पेरूनगालाथूर, चैन्नई-600063)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 150ए, पेरूंगालाथूर, चेंगालपट्टु, तमिलनाडु में **12.34 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 2 मंजिल के साथ प्रस्तावित भूतल = प्रथम तल = दूसरा तल = 77.29 वर्गमीटर तल क्षेत्र, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन

और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 19</u>

(श्रीमती एन. जयासुन्दरी पत्नी श्री तिरूमलाई, सी5, नूंगामबक्कम पुलिस क्वार्टर, वेल्लूर कोट्टम हाई रोड, नूंगामबक्कम, चैन्नई-600034)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लाट नं. 36, एस. नं. 401/21, नाथम, कांचीपुरम तमिलनाडु में **10.52 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ भूतल = प्रथम तल = 80.32 वर्गमीटर तल क्षेत्र, हैडरूम क्षेत्र = 8.54 वर्गमीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 20</u>

(श्रीमती एस. कमला तथा श्री एस. शेकर, डोर नं. 66, कृष्णा रोड, पेरूंगालाथूर, चैन्नई-600063)

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अधिकतम ऊंचाई **16.40 मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेज** दिया जाए।

<u>मामला संख्या 21</u>

(श्री के. अतिशिवम, कारूप्पिह तथा श्रीमती ए. सत्यावेणी, डी 1/26, सिडको नगर, 12वी स्ट्रीट, विलिवक्कम, चैन्नई-600049)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लाट नं. 70, शीतलापक्कम, चेंगालपट्टु, तमिलनाडु में **13.68 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 2 मंजिल के साथ भूतल क्षेत्र (पार्ट) = 69.40 वर्गमीटर, प्रथम तल = दूसरा तल = 130.06 वर्गमीटर, पार्किंग क्षेत्र (स्टिल्ट) = 60.66 वर्गमीटर, हैड रूम क्षेत्र = 11.60 वर्गमीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 22

(श्रीमती एस. जयालक्ष्मी एवं श्री ए. सुब्रमणियन. नं. 15, गांधी स्ट्रीट श्रीनिवास नगर, पीरकानरकरणई, चैन्नई-600063)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 29 पार्ट, एस नं. 108/1जीए2ए, पीरकानरकरणई, चेंगालपट्टु, तमिलनाडु में **8.65 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट + 1 मंजिल के साथ ओवरहैड टैंक के साथ एफ.एस.आई. क्षेत्र प्रथम तल क्षेत्र = 60.84 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई. क्षेत्र, स्टिल्ट तल क्षेत्र = 218.40 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.53 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 23

(श्री आर. सुरेश कुमार नं. 14/8, रामानुजूर स्ट्रीट, पेरूंगालाथूर, चैन्नई-600063)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एस नं. 163/34बी2, पेरूंगालाथूर, चेंगालपट्टु, तमिलनाडु में **10.67 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ भूतल + 1 मंजिल के साथ हैडरूम एवं ओवरहैड टैंक के साथ एफ.एस.आई. क्षेत्र भूतल = प्रथम तल = 82.03 वर्गमीटर, गैर एफ.एस.आई. क्षेत्र, हैडरूम क्षेत्र = 11.24 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 24

(जिला पर्यटन अधिकारी, न्यू कलेक्ट्रेट, डी ब्लॉक, आर्टस कालेज के समीप, वाईएसआर कडपा जिला, पिन-516001)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 567 तथा 568, गंडीकोटा, वाईएसआर जिला, आंध्र प्रदेश में भूतल कुल उंचाई = शौचालय ब्लॉक - 3.96 मीटर, कार्यालय भवन - 4.27 मीटर, तथा वाटर टैंक - 8.71 मीटर (कुल मिलाकर) के साथ भूतल तल क्षेत्र = 1095.06 वर्गमीटर, बेसमेंट = 0.46 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, आंध्र पदेश की रिपोर्ट में उल्लिखित

निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>नए मामले</u>

<u>मामला संख्या 01</u>

(श्री नीरज बूबना तथा सुश्री सूचिता बूबना, डी-66, साकेत, नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में डी-66, साकेत, नई दिल्ली में **17.99 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिल के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 187.49 वर्गमीटर के तल क्षेत्र, गहराई = 4.50 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 02</u>

(श्री वी रवि पुत्र स्वर्गीय वेंकटप्पा, # 432, पुराने जेएसएस कालेज की पीछे, वोक्कलगेरी, ननजानगुड, मैसूर जिला-571301, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में एएन. 432/402/388, वोक्कालगेरी, ननजानगुड में **7.80 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 39.95 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं 03

(श्री रवि तजप्पा हरिजन,बननाद/एग्रीगोल्ड लेआउट,रंभापुर रोड महलबगायत,विजयपुर,जिला-586101,कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वेक्षण सं 247के,भूखंड सं34, एग्रीगोल्ड लेआउट,रंभापुर रोड एस-हाइपर मार्ट के पीछे, विजयपुर-586101 कर्नाटक में 5.07 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ मंजिल के साथ जीएफ =84.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 04

(श्री इरेश कल्याणप्पा अलगी, सुभाष कॉलोनी, गोलगुबंज रोड, विजयपुर जिला-586104, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वेक्षण सं. 247/जी, भूखंड सं. 6, महलबगायत, विजयपुर कर्नाटक में 7.66 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 तल मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 65.60 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 05

(श्रीमती आरती कृष्णमूर्ति करीकुर्वे, मारफत किरन शानभाग, ओम एसोसिएट, महामाया, नेलीकेड़ी, कुम्ता, उत्तर कन्नड जिला-581343, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वेक्षण सं. 450ए2, नेलीकेडी, कुम्ता, उत्तर कन्नड जिला कर्नाटक में 11.05 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि) के साथ तलघर + जीएफ + 2 मंजिल + 2.45 मीटर (तलघर) के साथ तलघर = जीएफ = एफएफ = एसएफ = 514.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में

उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 06

(श्रीमती चंपा मलीकार्जुन हुनाशिकटी, मारफत जी एम हुर्लिकुपी भवन, यल्लाकी ऊनी, हवेरी जिला-581110, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड सं. 31, आर सर्वेक्षण सं. 2/बी, ई-स्वतु-27-5-614-277, हवेरी कर्नाटक में 11.25 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि) के साथ जीएफ + 2 मंजिल के साथ जीएफ = 58.35 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 74.75 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 07

(श्री संतोष सुपुत्र रंजना शेरीयकर, मारफत बासवराज शंकरप्पा शेरीयकर, घर सं. 19-6-154, बसावा सु-हर्ष निवास, शिवनगर उत्तर, बीदर जिला-585401, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड सं. 41 का हिस्सा, सीएमसी सं. 9-5-743/41, सर्वेक्षण सं. 102/5, 102/7, बच्छा लेआउट, चीद्री, बीदर कर्नाटक में 11.30 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि) के साथ जीएफ + 2 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 100.50 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला सं. 08

(कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग प्रभाग, करवाड़ विभाग, करवाड़, उत्तर कन्नड-581301, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सुर्वेक्षण सं 84 क, हिस्सा:1क 1क 1-पी1 पुराने आईबी का परिसर, कुमता, उत्तर कन्नड जिला, कर्नाटक में 12.15 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि) के साथ जीएफ + 1 मंजिल+छत पर तल के साथ जीएफ = एफएफ =685.00 वर्गमीटर, छत का तल=52.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ वी.वी.आई.पी.

सर्किट हाउस के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला सं. 09</u>

(श्री श्रीराम शेखर, डी सं. 4/363 ए, भूखंड सं. 12 एवं 13, श्री सर्वना बावा नगर प्रथम स्ट्रीट आल्ड पेरूगंलथुर, चेन्नई-600063)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लाट सं. 5ए बी, कुमरन स्ट्रीट, (जीएसटी रोड) क्र.सं. 141/3 भाग (टी.एस. सं. 6, वार्ड नं. बी, ब्लाक सं. 24), कडापेरी विलेज, टंबरम नगर निगम सीमा, टंबरम तालुक, कांचीपुरम जिला में 13.91 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ लिफ्ट और वाटर टैंक के साथ स्टील्ट + 2 तल मंजिल के साथ स्टील्ट तल क्षेत्र = 100.65 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 114.03 वर्गमीटर, हेडरूम और लिफ्ट क्षेत्र = 16.36 वर्गमीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए 04.09.2020 को आयोजित 278 बी अन्नापत्ति प्रमाण पत्र बैठक में दी गई **सिफारिश** को ही दोहराये जाने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>आनॅलाइन मामलों का अनुपालन</u>

<u>मामला सं. 01</u>

(श्री एम नवीन और श्री एम अरूण बराथ, 363/सी-5, सेंदूर मूर्गन कोविल स्ट्रीट, ओल्ड पैट, कृष्णागीरि-635001)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वेक्षण सं. 35/1, 11 बी महाराजा कडाई रोड, कृष्णागीरि, तमिल नाडु, में 7.40 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 तल मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 32.37 वर्गमीटर, खुल स्थान का क्षेत्रफल = 78.41 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिल नाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री विजय कुमार, जी, मार्फत एल एस रामप्पा परिसर एसबीआई बैंक के पास, हम्पी रोड, मल्लपन्नगुडी, हॉसपैट(तालुक) पिन-583201, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 74/77/बी1, मल्लपन्नगुडी, हॉसपैट(तालुक) कर्नाटक में 9.15 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 तल मंजिल के साथ जीएफ =69.16 वर्गमीटर, एफएफ = 42.35 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्री देवशी वी. पटेल,#36, टिबंर मार्केट, उन्कल, हुबली-580031, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 3226/15, उन्कल, धरवाड़, कर्नाटक में 13.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि) के साथ जीएफ + 2 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 175.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

(श्रीमती इंदिरा, पत्नी रूद्रगौडा #21 कुवमपुनगर चिकनाहल्ली रोड गोत्रावली, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 23, बेलुर, हासन, कर्नाटक में 9.89 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि) के साथ जीएफ + 2 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = एसएफ = 25.85 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 05

(श्री बी सत्यनारायण सुपुत्र हनुमंतथप्पा, सातवां वार्ड, घर संख्या 57, सोसाइटी के पास अनंतशाइनागुडी, हॉसपैट, विजयनगर जिला, कर्नाटक स्टेट 583201, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड संख्या 29 (पैकी), सर्वेक्षण संख्या 2, अनंतशाइनागुडी, बिल्लारी, कर्नाटक में 7.92 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 तल मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 77.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 06

(श्री शिव कुमार बड़ीगर सुपुत्र हनुमंतथप्पा, सातवां वार्ड, घर संख्या 57, सोसाइटी के पास अनंतशाइनागुडी, हॉसपैट, विजयनगर जिला, कर्नाटक स्टेट 583201, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड संख्या 29(पैकी) पीआईडी संख्या, अनंतशाइनागुडी, बिल्लारी, कर्नाटक में 7.92 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 तल मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 77.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 07

(श्री वीरेश बड़ीगर सुपुत्र हनुमंतथप्पा, सातवां वार्ड, घर संख्या 57, सोसाइटी के पास अनंतशाइनागुडी, हॉसपैट, विजयनगर जिला, कर्नाटक स्टेट 583201, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड संख्या 29 (पैकी) सर्वेक्षण संख्या 2, अनंतशाइनागुडी, बिल्लारी, कर्नाटक में 7.92 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 तल मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 77.00 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 08

(1) श्रीमती महादेवी एस.चलावाड़ी, (2) श्री जावेडकर जी. मुजावर,3) श्रीमती शाफियाबानु जी. मुजावर शादी के बाद श्रीमती शाफियाबानु पत्नी रशीदमिया मारफत रशीदमिया नीलमंगला तालुक विश्वेश्वरपुर नीलमंगला बैंगलौर, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में भूखंड संख्या-85, सर्वेक्षण संख्या-153डी, विजयपुर, बीजापुर कर्नाटक में 11.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि) के साथ जीएफ + 2 मंजिल के साथ जीएफ = 64.80 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 66.50 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ऑफ लाइन मामलो का अनुपालन

मामला संख्या 01

(श्री प्रभु सुपुत्र शर्नप्पा पाटिल, घर संख्या 8-11-482, ज्योति कॉलोनी, के.ई.बी. कार्यालय के पीछे, बीदर जिला-585101)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सीएमसी संख्या घर संख्या 8-11-482, भूखंड संख्या 51, ज्योति कॉलोनी, के.ई.बी. कार्यालय के पीछे, बिदर में 11.12 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि) के साथ जीएफ + 2 मंजिल के साथ जीएफ = 86.00 वर्गमीटर, एफएफ = एसएफ = 82.51 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री सी.एस. महादेव, सुपुत्र स्वर्गीय लिंगईया, #एस-2/66, दूसरा क्रॉस, गणपती मंदिर के पास, रंगनाथगढ, श्रीरंगपटना, मांडया जिला-571438, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में कथा संख्या एस-5166/352/353/1/353/2/122, कमलया लेआउट, चंदगालु रोड, श्रीरंगपटन में 9.75 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि) के साथ जीएफ + 2 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 57.50 वर्गमीटर, एसएफ = 46.36 वर्गमीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में

उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

अतिरिक्त कार्यसूची

ऑनलाइन नये मामले

मामला संख्या 01

(मैसर्स अल्टीमेट ई. सॉल्यूशन प्राइवेट लि. अपने निदेशक श्री अजय गोयल, ए-22, निजामुद्दीन ईस्ट नई दिल्ली के माध्यम से)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में ए-22, निजामुद्दीन ईस्ट नई दिल्ली में 17.99 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ तलघर+स्टिल्ट+जीएफ + 3 मंजिल के साथ तलघर = स्टिल्ट= जीएफ= एफएफ = एसएफ = टीएफ = 125.39 वर्गमीटर, गहराई = 3.08 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(श्री अमरजीत तलवार, निवासी डी-3/4, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में संपत्ति संख्या डी-3/4, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007 में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ स्टिल्ट+जीएफ + 3 मंजिल के साथ स्टिल्ट= जीएफ= एफएफ = एसएफ = टीएफ = 146.04 वर्गमीटर, के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

(श्रीमति सोनाली बेदी श्रीमति अंजलि वाधवा और श्रीमति रोहिणी तायल, सी-33,मेंफ्येर गार्डेन,नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सी-33, मेफएयर गार्डन, नई दिल्ली में 18.00 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ तलघर+स्टिल्ट+जीएफ + 3 मंजिल के साथ तलघर = स्टिल्ट= जीएफ=198.57 वर्गमीटर,

एफएफ = एसएफ = टीएफ =184.57 वर्गमीटर, गहराई = 4.20 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 04</u>

(मेसर्स शाहसन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, बी-264, ओखला फ़ेस-1,नई दिल्ली)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सी-85, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली, 110065 में 17.49 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, आदि सहित) के साथ तलघर+स्टिल्ट+जीएफ + 3 मंजिल के साथ तलघर = स्टिल्ट= जीएफ=एफएफ = एसएफ = टीएफ =86.52 वर्गमीटर, गहराई = 3.00 मीटर के तल क्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 05</u>

(श्री रोहित चौहान, बड़ी चौपाल के पास, छज्जू नगर, पलवल, हरियाणा)

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आवेदक को सही ऊंचाई दर्शाकर और वास्तुविद द्वारा विधिवत रूप में हस्ताक्षरित और सत्यापित सही कार्य-स्थल आयोजना जमा कराने के लिए कहते हुए आवेदन को **वापिस भेजने** का निर्णय लिया गया।

<u>मामला संख्या 06</u>

(कार्यकारी अभियंता, त्वाड बोड परियोजना प्रभाग कराईकुडी, संख्या 24, कन्नादसन मडीमंडप्पम के पीछे टी.टी नगर, कराईकुडी-630001)

आवेदन पर विचार करने के पश्चात आवेदक को संरक्षित संस्मारक की संरचनागत सुरक्षा के हित में संबंधित केंद्रीय संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के बाहर भूमिगत जल आपूर्ति पाइप के लिए वैकल्पिक संरेखण प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए आवेदन **वापिस भेजने** का निर्णय लिया गया।

ऑफ लाइन नये मामले

मामला संख्या 01

(प्रशासक/प्रधान अधिकारी, अंबरनाथ नगर परिषद, तिलकपथ, स्टेशन रोड, अंबरनाथ(पश्चिम)-421505, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र)

आवेदन और पावर पाइंट प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद इस मामले में निम्नलिखित निर्माण कार्यो के साथ रिर्जवेशन संख्या 169,171,172, शिव मंदिर परिसर के पास, अंबरनाथ, ठाणे में जनसुविधा (**चारदीवारी**) के निर्माण के लिए अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की सिफारिश की गई।

क्रम सं	निर्माण कार्य का ब्योरा	तल की सं.	ऊंचाई(छोडकर)	ऊंचाई(सहित)	तलघर
1.	चारदीवारी (प्रकाश नगर स्लम)	120.32 आरएमटी	दीवार की ऊंचाई-2.60 मीटर	स्तम्भ की ऊंचाई-4.10 मीटर	नीव की गहराई 1.5 मीटर
	निर्माण कार्य का विनिर्देश 1. नीव और पीठिका आरसीसी मे होगी(एम 25 का कंकरीट मिक्स) 2. 230 एमएम की मोटी ईट की दीवारे 3. स्तंभ आरसीसी के और उसके ऊपर जीआरसी की मोल्डिंग 4. 25 एमएम मोटे खंड 5. 25 एमएम मोटि काली बसाल्ट क्लैडिंग				

एनओसी सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

(प्रशासक/प्रधान अधिकारी, अंबरनाथ नगर परिषद, तिलकपथ, स्टेशन रोड, अंबरनाथ(पश्चिम)-421505, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र)

आवेदन और पावर पाइंट प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद इस मामले में निम्नलिखित निर्माण कार्यो के साथ रिर्जवेशन संख्या 169,171,172, शिव मंदिर परिसर के पास, अंबरनाथ, ठाणे में जनसुविधा (**घाट सरंचना, ज्योर्तिलिंग और गणलोक**) के निर्माण के लिए अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की सिफारिश की गई।

क्र.सं.	निर्माण कार्य का विवरण	ब्यौरा	ऊचांई (छोड़कर)	ऊचांई (सहित)	तलघर
1	घाट संरचना, ज्योर्तिलिंग और गणलोक का निर्माण	प्रत्येक 2.97 वर्गमीटर के 12 ज्योर्तिलिंग प्रत्येक 2.97 वर्गमीटर वाले 8 गणलोक	ज्योर्तिलिंग– 2.00 मीटर गणलोक-2.00 मीटर	ज्योर्तिलिंग– 3.2 मीटर गणलोक 3.15 मीटर	नीव की गहराई 1.5 मीटर
2.	चारदीवारी	101.93 आरएमटी	चारदीवारी 3.15 मीटर	चारदीवारी 3.15 मीटर	नीव की गहराई 1.5 मीटर
	निर्माण कार्य का विनिर्देश घाट और चारदीवारी के लिये I. कम्पैक्ट जमीन के साथ भराई और समतलीकरण होगा II. 50 एमएम मोटी स्क्रीड III. 100 एमएम मोटी काली बसाल्ट IV. प्रीकास्ट कंकरीट में नीव बनाना V. 300 एमएम मोटी प्रीकास्ट कंकरीट की दीवार				

एनओसी सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 03</u>

(प्रशासक/प्रधान अधिकारी, अंबरनाथ नगर परिषद, तिलकपथ, स्टेशन रोड, अंबरनाथ(पश्चिम)-421505, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र)

आवेदन पर और पावर पाइंट प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद इस मामले में निम्नलिखित निर्माण कार्यो के साथ रिर्जवेशन संख्या 169,171,172, शिव मंदिर परिसर के पास, अंबरनाथ, ठाणे में जनसुविधा (**भक्त निवास**) के निर्माण के लिए अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की सिफारिश की गई।

क्र.सं.	निर्माण कार्य का ब्यौरा	तलो की संख्या	ऊंचाई (सब मिलाकर)
1	भक्त निवास	जीएफ +1	7.50

एनओसी सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

ऑफ लाइन कार्यस्थल दौरा मामला:

मामला संख्या 1

(भारतीय श्रम संस्थान (श्री इद्रंजीत बॉस, कार्यकारी सचिव) 16.0 हेमन्त बसु सराणी, कोलकाता-700069)

इस मामले पर पहले 13.08.2021 को हुई 313वीं अन्नापत्ति प्रमाण पत्र बैठक में विचार किया गया था और कार्यस्थल का दौरा करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार तत्कालीन अध्यक्ष, सीए(पश्चिम बंगाल) और एसए कोलकाता द्वारा 04.03.2022 को निरीक्षण कार्य किया गया।

इस मामले पर तब 20.09.2022 को आयोजित 362वीं बैठक में विचार किया गया और उपर्युक्त कार्यस्थल की दौरा रिपोर्ट के आधार पर आवेदक से प्रस्तावित भवन की ऊंचाई अधिकतम 34.00 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित रखने के लिए कहा गया।

आवेदक ने मार्च, **2023** में 55.00 मीटर की ऊंचाई के लिए पुन: आवेदन किया और एक अन्य कार्यस्थल दौरा के लिए इस मामले पर पुन: विचार किया गया। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के अशंकालिक सदस्य प्रो. एम कैलाश राव ने 27.02.2023 को कार्य-स्थल का दौरा किया और प्राधिकरण को दिनांक 23.05.2023 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मामले पर विचार करने के बाद और कार्यस्थल का दौरा और रिपोर्ट देखने के बाद प्राधिकरण की यह राय है कि 55 मीटर तक की अतिरिक्त ऊंचाई के लिए आवेदक का अनुरोध औचित्यपूर्ण नही है और यह पूर्णतया व्यवसायिक हितो पर आधारित है और यह कि ऊंचाई बढ़ाने से संरक्षित संस्मारक की दृश्यता और उसके बिलकुल आस-पास के मौजूदा क्षितिज के ऐतिहासिक स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। संरक्षित संस्मारक कार्यस्थल के निकट ही स्थित है यहां की अधिकांश सरंचनाऐ जी+4 ऊंचाई की है और उनमें भूतल क्षेत्र का शत प्रतिशत उपयोग किया गया है।

अत: यह निर्णय लिया गया कि भवन की ऊंचाई अधिकतम 34.00 मीटर (सब मिलाकर) तक सीमित रखने की प्राधिकरण की पूर्व की सिफारिश सही है और अधिक ऊंचाई बढाने की सिफारिश नही की जाती है।